

राजस्व लोक अदालत कम्प हादसी

30/6/17 पञ्जाबली प्रस्तुत हुई / वादी एवं  
प्रतिवादीगण अनुपस्थित / पञ्जाबली  
एवं सुमाई का इवलोकन किया  
वादी एवं उसके अभिभाषक द्वारा  
दिनांक 14.10.2015 की अनुपालना  
में P/F एवं समान प्रेश कर्त  
में असफल रहे हैं, फलस्वरूप  
Order-9 Rule-2 C.P.C. के अन्वये  
प्रावधानों के अन्वय वादी का  
वाद रवारिज किया जाने मौजद  
है। इसके अतिरिक्त राजस्व रकाई  
के इवलोकन से वादग्रस्त इमि-यारी  
90(A) Rwh Act के तहत नगर पालिका  
सादी के गत काबजादी प्रमेयनाम  
सम्पत्ति हो चुकी है / अतः वादी का  
वाद चलने मौजद नहीं है। अतः  
वाद वादी वारिज किया जाता है।  
पञ्जाबली फल सुमार लेकर सुमाई से वादी  
SPD के पास